भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 325
दिनांक 23 मार्च, 2023

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ का विस्तार

†*325. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :
श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) से लाभान्वित न हो रहे उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ देने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;
(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में पीएमयूवाई के अंतर्गत लोग लाभान्वित हुए हैं और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान, आज की तारीख के अनुसार लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
(ड.) महाराष्ट्र में पीएमयूवाई के अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थियों ने आपूर्ति लेना बंद कर दिया है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ का विस्तार' के बारे में संसद सदस्य श्री गिरीश भालचन्द्र बापट और श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 325 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पूरे देश में गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर बगैर किसी जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दिनाँक 01.05.2016 को प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरूआत की गई थी। 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को इस योजना के दायरे में लाने के उद्देश्य से एक करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में पीएमयूवाई चरण-2 (उज्ज्वला 2.0) की शुरूआत की गई थी, जिसका लक्ष्य जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तत्पश्चात, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख एलपीजी कनेक्शन और जारी करने का निर्णय लिया तथा दिनाँक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई चरण-II अर्थात् उज्ज्वला 2.0) के अन्तर्गत गरीब परिवार की वयस्क महिला के नाम पर एलपीजी कनेक्शन जारी किया जाता है, बशर्ते उस परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन न हो तथा अन्य निबन्धन और शर्तें पूरी की गई हों। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) सूची से या फिर सात अन्य पहचानी गई श्रेणियों, जैसे अनुसूचित जाति (एससी) परिवार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी, वनवासी, द्वीप समूह/नदी द्वीप समूह के निवासी, चाय बागान/पूर्व चाय बागान के कामगार से संबंधित परिवार अथवा उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए गरीब परिवार 14 बिंदुओं की घोषणा प्रस्तुत करके पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए पात्र हैं। उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी परिवारों के लिए निवास प्रमाण और राशन कार्ड के अलावा स्व-घोषणा का उपयोग करते हुए नया कनेक्शन प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

पीएमयूवाई के अन्तर्गत, सरकार सिलेंडर, प्रेशर रेग्युलेटर की जमानत राशि (एसडी), सुरक्षा होज़, डीजीसीसी बुकलेट और इंस्टालेशन शुल्क के लिए प्रति कनेक्शन 1600 रुपए तक का व्यय वहन करती है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, पीएमयूवाई के अन्तर्गत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों का राज्य/सं.शा.प्र. वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

वि वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को अधिकतम 3 (तीन) नि:शु क एलपीजी रीफि स उपलब्ध करवाए थे। इस योजना के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को महाराष्ट्र राज्य में 76.29 लाख रीफि स (14.2 कि.ग्रा.) सहित पूरे देश में 14.17 करोड़ नि:शु क रीफि स (14.2 कि.ग्रा.) उपलब्ध करवाए गए थे। सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों हेतु अधिकतम 12 रीफि स के लिए 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है।

(ङ) महारा राज्य में दिनाँक 31.03.2022 तक जारी किए गए 46.98 लाख पीएमयूवाई कनेक्शनों में से 46.67 लाख (99.34%) से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों ने फरवरी, 2023 तक रीफि स लिए हैं।

****

"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभ का विस्तार" के बारे में दिनांक 23-03-2023 को श्री गिरीश भालचंद्र बापट और श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 325 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/ संघ शासित प्रदेश	2019-20	2021-22	2022-23 (अप्रैल-फरवरी)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,547	811	46
आं प्रदेश	49,262	25,222	95,672
अ णाचल प्रदेश	5,384	3,457	1,514
असम	6,48,961	5,11,073	4,24,243
बिहार	6,43,107	16,13,210	6,39,296
चंडीगढ़	-	5	569
छ ीसगढ	2,96,736	3,73,735	1,44,003
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	644	39	14
दि ली	3,058	22,638	43,594
गोवा	10	-	141
गुजरात	3,79,993	5,40,537	4,06,881
हरियाणा	50,472	13,675	29,097
हिमाचल प्रदेश	23,048	2,058	2,525
ज मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	1,89,062	9443	7111
झारखंड	3,56,981	2,19,486	1,74,072
कर्नाटक	3,23,478	3,28,275	2,93,751
केरल	46,379	44,456	40,802
लक्षद्वीप	-	10	14
म य प्रदेश	7,08,815	7,95,859	2,92,462
महारा	3,64,878	2,81,997	1,94,467
मणिपुर	26,221	22,025	23,691
मेघालय	10,433	22,628	41,847
मिजोरम	2,337	1,523	3,962
नगालैंड	5,738	21,977	14,956
ओडिशा	5,14,096	4,55,549	1,37,729
पुदु चेरी	203	655	616
पंजाब	15,256	17,132	48,514
राजस्थान	6,73,000	2,64,503	3,10,247
सि म	954	3,707	1,341
तमिलनाडु	1,00,374	2,14,225	2,57,068
तेलंगाना	1,48,480	40,198	41,845
त्रिपुरा	33,495	5,827	11,673
उ र प्रदेश	17,93,397	20,00,914	7,98,372
उ राखंड	51,645	46,778	48,157
पश्चिम बंगाल	7,94,376	20,96,373	14,69,708

नोट- वर्ष 2020-21 में पीएमयूवाई के तहत कोई भी कनेक्शन जारी नहीं हुआ था।
स्रोत: तेल विपणन कंपनियों की ओर से इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड।